



Neutral Citation No. - 2026:AHC:59890

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3545/2026

मगरुद्दीन @ कलाम

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

: प्रेम प्रकाश

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता

: सरकारी अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय सं० - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल पूरक शपथपत्र पत्रावली पर लिया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री विपिन मौर्या को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
3. सूची पुनरीक्षित वर्तमान आपराधिक विविध जमानत आवेदन, आवेदक **मगरुद्दीन @ कलाम** की ओर से भारतीय सिविल सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत मु.अ.सं० 558/2025, अन्तर्गत धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना चुनार, जिला मिर्जापुर में विचारण की लम्बित अवधि के दौरान जमानत पर मुक्त करने हेतु दायर किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में छिपे उद्देश्य से गलत एवं फर्जी ढंग से फंसाया गया है। आगे यह भी तर्क दिया गया कि

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आवेदक की अभिरक्षा से 10.35 ग्राम हेरोइन बरामद हुई बताई जाती है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि उक्त मात्रा व्यावसायिक मात्रा अर्थात् 250 ग्राम से बहुत कम है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने अथवा साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई सम्भावना नहीं है। आवेदक, जो दि० 22.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है, यह वचन देता है कि यदि जमानत प्रदान की जाती है तो वह उसकी स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया कि न्यायालय में मामलों की भारी लम्बित संख्या को देखते हुए विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई सम्भावना नहीं है।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत आवेदन का विरोध किया।

6. आवेदक की अभिरक्षा से 10.35 ग्राम हेरोइन बरामद हुई बताई जाती है। उक्त मात्रा व्यावसायिक मात्रा अर्थात् 250 ग्राम से बहुत कम है। आवेदक, जो दि० 22.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है, यह वचन देता है कि यदि जमानत प्रदान की जाती है तो वह उसकी स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. समस्त तथ्यों, प्रकृति एवं अभिलेख पर परिलक्षित साक्ष्य पर समग्र विचार करने के उपरान्त तथा वाद के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, जमानत का मामला बनता है। अतः वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. आवेदक- **मगरुद्दीन @ कलाम**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि पर रु० 50,000/- का व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर मुक्त किया जाये:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वायदा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से विरत रहे अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) मामले की सुनवाई, (ii) आरोप विरचन एवं (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अन्तर्गत कथन अभिलेखन हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिशः उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का वचन-पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर, जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं माँगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में, वह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के प्रयोजन तक सीमित है और इसे किसी भी रूप में मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति नहीं माना जायेगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतन्त्र निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतन्त्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

23 मार्च, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"